

---

**वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक सुरक्षा**

---

**डॉ. श्वेता पाठक**

(अतिथि व्याख्याता)

शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Corresponding Author - डॉ. श्वेता पाठक

DOI - 10.5281/zenodo.16397484

---

**सारांश:**

भारत में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी उन नीति- निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करती हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और कल्याण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल और संरक्षण प्रदान करने वाली एक प्रणाली है। यह सुनिश्चित करती है कि वृद्धजन अर्थिक रूप से सुरक्षित हों। उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हो और वे सुरक्षित महसूस करें। हालाँकि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने में प्रगति हुई है लेकिन महत्वपूर्ण अंतर अब भी बने हुए हैं जो संसाधनों की प्रभावी पहुँच और उपयोग को बाधित करते हैं।

हर समाज की असली समृद्धि उसके अनुभव और मूल्यों में होती है, और इन अनुभवों के सच्चे वाहक होते हैं, वरिष्ठ नागरिक। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश, समाज और परिवार की सेवा में व्यतीत किया है। उन्होंने अपने अनुभवों, परिश्रम और समझदारी से आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने का कार्य किया है।

लेकिन जैसे ही ये नागरिक अपने जीवन की संध्याकालीन अवस्था (60 वर्ष के बाद) में पहुँचते हैं, उनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ और समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। वे जिनके लिए जीवनभर काम करते हैं वही परिवार, वही समाज कई बार उन्हें उपेक्षित, असहाय, और अकेला महसूस करवाते हैं।

आज के बदलते सामाजिक ढाँचे में संयुक्त परिवारों का विघटन, शहरीकरण, और आधुनिक जीवनशैली की व्यस्तता ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के मामले में पीछे छोड़ दिया है। उनका शारीरिक स्वास्थ्य जहाँ उम्र के साथ कमजोर हो रहा होता है, वहीं मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।

इसके साथ ही, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत से बुजुर्ग पेंशन या आय के नियमित साधनों के अभाव में संघर्ष करते हैं। ऐसे में यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि हम न केवल उनकी समस्याओं को पहचानें, बल्कि उनके लिए संवेदनशील नीतियाँ, संरक्षण, और समाज में सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करें।

---

**प्रस्तावना:**

सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य नागरिकों को जीवन के विभिन्न चरणों में आर्थिक अनिश्चितताओं और कठिनाइयों से बचाना है। भारत में जहाँ पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली में बुजुर्गों की देखभाल हो जाती थी वहीं शहरीकरण बदलते पारिवारिक ढाँचे

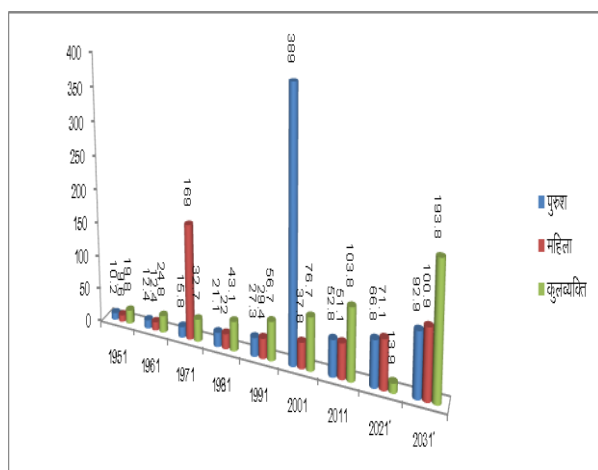
और सामाजिक मानदंडों ने औपचारिक राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। तेजी से बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों के साथ भारत में बुजुर्गों के लिए मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। इसमें पेंशन योजनाओं स्वास्थ्य देखभाल, आवास, कानूनी सुरक्षा और उन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है जिनका

समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, ताकि बुजुर्गों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिल सके।

औपचारिक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

### भारत में बुजुर्ग आबादी (60 वर्ष से अधिक आय)

| वर्ष  | पुरुष<br>(मिलियन में) | महिला<br>(मिलियन में) | कुलव्यक्ति<br>(मिलियन में) |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1951  | 10.2                  | 9.6                   | 19.8                       |
| 1961  | 12.4                  | 12.4                  | 24.8                       |
| 1971  | 15.8                  | 16.9                  | 32.7                       |
| 1981  | 21.1                  | 22.0                  | 43.1                       |
| 1991  | 27.3                  | 29.4                  | 56.7                       |
| 2001  | 38.9                  | 37.8                  | 76.7                       |
| 2011  | 52.8                  | 51.1                  | 103.8                      |
| 2021* | 66.8                  | 71.1                  | 137.9                      |
| 2031* | 92.9                  | 100.9                 | 193.8                      |



नोट:- \* अनुमानित जनसंख्या

स्रोत:- भारत की जनगणना, विभिन्न रिपोर्टें

भारत जनसांख्यिकीय बदलाव से गुजर रहा है, जहाँ बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। आबादी में यह वृद्धि जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण है जो स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर में सुधार से प्रेरित है।

संयुक्त परिवार प्रणाली, शहरी प्रवास और वैश्वीकरण के कमजोर पड़ने से पारंपरिक देखभालकर्ता प्रणाली का क्षरण है जो बुजुर्ग नागरिकों के लिए

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू:

वित्तीय सुरक्षा:

- **पेंशन योजनाएँ:** सरकार और निजी संस्थाएँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएँ प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आय मिलती है। ministry of social justice and Empowerment ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अटलवयो अभ्युजन योजना (AVYAY) शुरू की है।

- **वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: (SCSS)** वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज पर बैंक बेहतर दर प्रदान करती है।

स्वास्थ्य देखभाल:

- **सरकारी योजनाएँ:** सरकार वरिष्ठ नागरिकों की रियायती दरों पर या मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है।
- **बुजुर्गों के लिए समर्पित स्वास्थ्य देखभाल:** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी बुजुर्गों के लिए समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ उपलब्ध है।

संरक्षण:

- **अधिनियम:** माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 MPWC (अधिनियम) वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों से भरण पोषण को अधिकार देता है।
- **दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा:** सरकारें वरिष्ठ नागरिकों को दुर्व्यवहार और शोषण से

सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाती है  
उनका पालन करती है।

#### सामाजिक कल्याण:

- **आश्रय और भोजन:** वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था करने वाली योजनाएँ।
- **मनोरंजन:** वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के अवसर प्रदान करने वाली योजनाएँ।

#### आगे की राह:

भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अत्यावश्यक हैं। प्रमुख प्राथमिकताओं में सर्वव्यापी पेंशन कवरेज का विस्तार शामिल होना चाहिए, ताकि सभी बुजुर्गों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक बुनियादी आय प्राप्त हो सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए किफायती चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है। लैंगिक अंतर को पाटने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

इन कार्यों को प्राथमिकता देकर भारत एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढाँचे का विकास कर सकता है।

#### निष्कर्ष:

संक्षेप में भारत में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी उन नीति-निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करती है जो वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और कल्याण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों के विषय में अधिक जागरूकता पैदा करके और कानूनी सुरक्षा

को मजबूत करके भारत एक समावेशी समाज बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठा सकता है। जहाँ वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो, उनकी देखभाल की जाए और उन्हें अपने स्वर्णिम वर्षों में गरिमा और सुरक्षा के साथ जीने के लिए सशक्त बनाया जाए।

#### संदर्भ सूची:

1. डॉ. मुकजी आर.के. (1995) सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध प्रकाशन: धीरज बुक्स 355, गाँधी मार्ग मेरठ, पृ. 101
2. मित्र, प्रताप नारायणरू वृद्ध निबंध संकलित पाठ्य पुस्तक, साहित्य भारती, भाग-2
3. श्रीवास्तव, कृष्ण मोहनरू पौराणिक मिथको में वृद्ध (आलेख) वैदिक नवस्वदेश अवकाश अंक 10 दिसम्बर 2005
4. त्रिपाठी, विधिरू सार्थक एवं आनन्दमय वृद्धावस्था के रहस्य भारतीय परिदृश्य में एक अध्ययन, कौटिल्य वर्ष 2 अंक
5. डॉ. मदन जी.आर. (1970) समाज कार्य, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, पृ. 45
6. डॉ. बघेल डी.एस. (1997) सामाजिक अनुसंधान, गायत्री पब्लिकेशन पृ. 15
7. डॉ. मुखर्जी आर. के. (1995) “सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध”, धीरज बुक्स 355, गाँधी मार्ग मेरठ, पृ. 101
8. अटल, योगेश 2016 भारतीय समाज नैरन्तर्य एवं परिवर्तन, दिल्ली
9. प्रदीप कुमार, “प्रोब्लम्स ऑफ द एज्ड इन इंडिया” इन इंडियन जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च 2008
10. हलधर अरूण 1998, “ओल्ड ऐज: एनसियंट एण्ड मॉडर्न टाइम्स”, इंडियन जर्नल ऑफ जेरोन्टोलोजी, वोल्यूम 8, जुलाई-दिसम्बर पे. नं. : 1-10